न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 365/17 **निर्णय दिनांकः—21.01.2019**

1. रावताराम पुत्र पदमाराम जाति ब्राहमण निवासी मेहरासर उपाध्याय तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—03—2000
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 22—03—2005 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन में चक 25 एचडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 188/9 में 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा

अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट बावजूद अनुपस्थित रहा। अतः अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना खारिज करने से पूर्व इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 25—10—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 25—10—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से साबित है प्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इसी आदेश के अंतिम पैरा में यह भी अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट विकल्प मं अन्यत्र रकबा हेतु आवेदन कर सकता है।

(4) प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि आज दिनांक को अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं होकर आराजीराज भूमि है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा स्वमेव अपीलाधीन आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट विकल्प में अन्यत्र रकबा हेतु आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अन्य भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 22—03—2000 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर